दैनिक
न्याय साक्षी

खबरें खास

रायगढ़, रविवार 11 अप्रैल 2021

www.nyaysakshi.com

महत्वपूर्ण एवं खास

स्वास्थ्य विभाग ने बनाया 24x7 होम आइसोलेशन कंट्रोल रूम

रायगढ़ । कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग रायगढ़ ने होम आइसोलेटेड कोविड मरीज और उनके परिजनों के उचित देखभाल हेतु आपातकालीन स्वास्थ्य सहायता व परामर्श के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया है। यह कंट्रोल रूम 24×7 संचालित किया जा रहा है। इसमें 03 पालियों में चिकित्सकों की ड्यूटी लगायी गयी है। जिनके नंबर्स स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए हैं। जिस पर होम आईसोलेशन के दौरान सहायता के लिये काल कर संपर्क किया जा सकता है। होम आईसोलेशन सहायता केन्द्र सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक 7647921193, 7647921146, दोपहर 2 बजे से रात्रि 8 बजे तक 7647921172, 7647921147, रात्रि 8 बजे से सुबह 8 बजे तक 7647921175, 7647921184 एवं 24×7 व्हाट्सअप्प पर परामर्श हेतु 7647921154, 7647921157 नंबर है। आपात काल एम्बुलेंस सेवा 108 एवं छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य हेल्प लाईन नंबर 104 है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में लैंडलाइन नंबर 07762-232668, 07762-228000 संचालित है जिसमें संपर्क कर सकते है।

कालाबाजारी व जमाखोरी पर दुकान कर दी जाएगी सील-कलेक्टर

रायगढ़ । कलेक्टर भीम सिंह ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के रोकथाम को लेकर जो लॉकडाउन किया जा रहा है इसके चलते यदि किसी व्यापारी या दुकानदार द्वारा कालाबाजारी, जमाखोरी अथवा मूल्य में अनावश्यक वृद्धि की जाती है तो उस पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। ऐसा करते पाए जाने पर दुकानदार पर जुर्माना लगाने के साथ दुकान भी सील कर दी जाएगी। उन्होंने इस संबंध में सभी एसडीएम व अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि व्यापारिक प्रतिष्ठानों के नियमित रूप से जांच करें तथा कालाबाजारी की शिकायत मिलने पर तत्काल सख्त कार्यवाही करें।

सारंगढ़ उप जेल में विचाराधीन कैदी ने लगाई फांसी

रायगढ़ । (आरएनएस)। सारंगढ़ उप जेल के भीतर एक विचाराधीन बंदी ने फ ांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। जिसके बाद से जेल और पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। मिली जानकारी के अनुसार सारंगढ़ उप जेल में शनिवार को एक विचाराधीन कैदी की फंदे पर लटकी हुई मिली लाश मिली है। विचाराधीन बंदी का नाम दीपक मराठा है वह सरिया का निवासी था। साल भर पहले पॉक्सो एक्ट के मामले में उसे जेल हुई थी। खबर लगते ही जेल प्रशासन ने इसकी सूचना मृतक बंदी के परिजनों को भिजवा दी। इधर इस घटना बाद से जेल में दहशत का माहौल है वहीं मृतक के परिजनों ने बंदी की हत्या की आशंका जताई है।

ओड़िशा यात्रा करने वाले यात्रियों को आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य

रायपुर (आरएनएस)। कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए रायपुर रेल मंडल से गुजरने वाली गाड़ियां जो उड़ीसा की ओर जाती है उन गाड़ी के यात्रियों को यात्रा करते समय निम्नलिखित अनुदेशों की अनुपालना अनिवार्य होगी। उड़ीसा राज्य में बाहर से आने वाले यात्रियों को आगमन से पूर्व यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे के अन्दर करवाई गईआरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अथवा कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी डोज लगने का टीकाकरण प्रमाण पत्र देना होगा। यह प्रतिबंध 10 अप्रैल 2021 की बोर्डिंग तिथि से लागू रहेगा ।

गोंदिया-झारसुगुड़ा-गोंदिया मेमू स्पेशल बिलासपुर-झारसुगुड़ा-बिलासपुर के मध्य रद्द रहेगी

रायपुर (आरएनएस)। बिलासपुर मंडल के बिलासपुर-झारसुगुड़ा सेक्शन के विभिन्न स्थानों पर चल रहे संरक्षागत विकास कार्यों के लिए लिये गए ब्लॉक के फ्लस्वरूप आज 10 अप्रैल को गोंदिया से रवाना हुई 08861 गोंदिया-झारसुगुड़ा मेमू स्पेशल बिलासपुर में समाप्त होगी तथा 11 अप्रैल 21 को झारसुगुड़ा से रवाना होने वाली 08862 झारसुगुड़ा-गोंदिया मेमू बिलासपुर से गोंदिया के लिए रवाना होगी। इस प्रकार 08861/08862 गोंदिया-झारसुगुड़ा-गोंदिया मेमू उपरोक्त तिथि में बिलासपुर-झारसुगुड़ा-बिलासपुर के मध्य रद्द रहेगी।

14 से 22 अप्रैल तक जिला कंटेनमेंट जोन घोषित, सभी सीमाएं रहेंगी सील

रायगढ़ । कलेक्टर भीम सिंह ने कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि को देखते हुये रायगढ़ जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को 14 अप्रैल 2021 को प्रातः 6 बजे से 22 अप्रैल 2021 को रात्रि 12 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। उक्त अवधि में रायगढ़ जिले की सभी सीमायें पूर्णतः सील रहेंगी।

उक्त अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को पूर्व निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिये दवाओं की होम डिलेवरी को प्राथमिकता देंगे। दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 6 बजे प्रातः 8 बजे तक एवं संध्या 5 बजे से संध्या 6 बजे तक ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान/पार्लर नहीं खोले जायेंगे। केवल दुकान/पार्लर के सामने फिजीकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी।

पेट शॉप/एक्वेरियम को केवल पशुओं के पशुचारा देने हेतु प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक एवं संध्या 5 बजे से संध्या 6 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी। एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर की एजेंसियां केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन आर्डर लेगें तथा ग्राहकों को सिलेण्डरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध करायेंगे। औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर (ऑनसाईट) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यो की अनुमति होगी। अनवरत उत्पादन अपनाने वाले जिले में स्थित औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट फर्नेश, बायलर आदि हों) सीमेंट, स्टील, शक्कर फर्टिलाइजर एवं खान (माईन्स) कोरोना संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य सरकार तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे या दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन करने की शर्तो पर संचालित रहेंगे। उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अंतर्गत समस्त शराब दुकानें बंद रहेंगी।

सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल, गार्डन, बगीचा, सार्वजनिक पार्क आम जनता के लिये पूर्णतः बंद रहेंगी। उपरोक्त अवधि में रायगढ़ जिला अंतर्गत सभी केन्द्रीय/शासकीय/सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक/निजी कार्यालय/प्रतिष्ठान एवं बैंक बंद रहेंगे तथापि टेलीकॉम, रेल्वे, एस.ई.सी.एल.कोयला खनन एवं एयरपोर्ट संचालन व रखरखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कशॉप, रेक पाईट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी, किन्तु अस्पताल एवं ए.टी.एम.पूर्ववत् संचालित रहेंगे। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। जिले के अंतर्गत लगने वाले समस्त दैनिक एवं सप्ताहिक बाजार/हाट पूर्णतः बंद रहेंगी।

विवाह इत्यादि प्रयोजन हेतु पूर्व में अधिकतम 50 व्यक्तियों के शामिल होने हेतु अनुमति प्रदान की गई थी। कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को दृष्टिगत विवाह इत्यादि प्रयोजन हेतु पूर्व में प्रदान की गई समस्त अनुमतियों को संशोधित किया जाता है। विवाह कार्यक्रम में वर अथवा वधु के निवास गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल करने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की जाती है। कार्यक्रम में शामिल होने व्यक्तियों को मास्क पहनना एवं समय-समय पर हाथ धोना/सैनेटाईज करना अनिवार्य होगा तथा कार्यक्रम के लिये नियमानुसार संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे। इन कार्य में संलग्न सभी कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे। अपरिहार्य पस्थितियों में रायगढ़ जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथा प्रतियोगी/अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेल्वे/टेलीकॉल/एयरपोर्ट संचालन एवं रख-रखाव कार्य या हॉस्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों/चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी.कार्ड, ई-पास के रूप में मान्य किया जावेगा। उपरोक्त अवधि में रेल एवं बस से यात्रा हेतु रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड व एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले यात्रियों के ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को निवास/स्टेशन तक आने-जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई-पास माना जावेगा। कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड-19 जांच हेतु, मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड/विधिमान्य परिचय-पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकारण केन्द्र, अस्पताल/पैथालॉजी लैब, आने-जाने की अनुमति होगी, किन्तु अनावश्यक भम्रण सख्त प्रतिबंधित रहेगा। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान चार पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 04, ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहनों में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड, हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो/टैक्सी परिचालन की अ नु म ति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी। मिडियाकर्मी यथासंभव वर्क फार्म होम द्वारा कार्य संचालित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई.डी. कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत, समस्त जनपद पंचायत, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहरी/ग्रामीण)कमाण्डेंट होम गार्ड, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इस शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

शत-प्रतिशत कोविड टीकाकृत 12 पंचायतों के सरपंच, सचिव एवं मितानिन हुये सम्मानित

» कलेक्टर सिंह ने प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मान

रायगढ़ । कलेक्टर भीम सिंह कल तमनार तहसील के दौरे के दौरान ग्राम पंचायत चितवाही, डोलेसरा, बजरमुड़ा, उरबा, लालपुर, कोड़केल, मिलुपारा, सराईपाली, मौहापाली, गौरबहरी, हिंझर एवं आमगांव में 45 वर्ष से ऊपर शत-प्रतिशत टीकाकरण के लक्ष्य को पूर्ण करने पर उक्त पंचायत के सरपंच, सचिव एवं मितानिनों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में तमनार विकासखण्ड के विभिन्न पंचायतों के सरपंच, सचिव, मितानिनों, जनप्रतिनिधियों व कर्मचारियों द्वारा जो जिम्मेदारी व जागरूकता का परिचय दिया है, वह काबिले तारीफ है। इससे दूसरे पंचायतों को भी प्रेरणा मिलेगी और हम 45 वर्ष से अधिक उम्र के अपने लोगों के टीकाकरण के लक्ष्य को जल्द प्राप्त कर सकेंगे।

ये लोग हुये सम्मानित- ग्राम चितवाही के सरपंच श्रीमती वेदमती सिदार एवं सचिव महेन्द्र पटेल, ग्राम डोलेसरा के सरपंच-श्रीमती निराश्री पैकरा एवं सचिव श्रीमती संतोषी श्रीवास, बजरमुड़ा के सरपंच बंशीलाल सिदार एवं सचिव हलधल पटेल, ग्राम उरबा के सरपंच श्रीमती रामदुलारी राठिया एवं सचिव रविन्द्र निषाद, ग्राम लालपुर के सरपंच श्रीमती सुकांति राठिया एवं सचिव मोहन लाल पटेल, कोड़केल के सरपंच श्रीमती रमिला सिदार एवं सचिव कृतलाल साहू, ग्राम मिलुपारा के सरपंच श्रीमती कलावती सिदार एवं सचिव सुकलाल चौहान, ग्राम सराईपाली के सरपंच श्रीमती मंजु एवं सचिव श्रीमती सरिता राठिया, ग्राम मौहापाली के सरपंच सुबो राठिया एवं सचिव टुकलाल नायक, ग्राम गौरबहरी के सरपंच श्रीमती मिथिला सिदार एवं सचिव हेमसागर साव, ग्राम हिंझर के मितानिन श्रीमती विलासीन प्रधान, सरपंच टिकेश्वर राठिया एवं सचिव उग्रसेन नायक तथा ग्राम आमगांव के मितानिन कल्पना गुप्ता, सरपंच लक्ष्मी सिदार एवं सचिव पुरसेठ शामिल है।

शराब पीकर ट्रैक्टर चलाते पकड़ा गया युवक, काटा चालान

सरिया। सड़क दुर्घटनाओं पर कमी लाने पुलिस अधीक्षक रायगढ़ संतोष सिंह के निर्देशन पर सभी थानाक्षेत्र अन्तर्गत पुलिस स्टाफ वाहन चेकिंग दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत लगातर चालानी कार्यवाही कर इस्तगासा न्यायालय पेश किया जा रहा है। एक ओर जहां हाइवे पर भारी वाहनों पर यह कार्यवाही की जा रही है, वहीं अब हाइवे के अतिरिक्त गांव को जोड़ने वाली मुख्य मार्गों पर भी ब्रीथ एनालाइजर के साथ यह कार्यवाही अमल जा रही है। थाना प्रभारी सरिया डी.के. मार्कण्डेय द्वारा भी प्रतिदिन अपने स्टाफ के साथ थाना क्षेत्र के मुख्य मार्गों पर वाहन चेकिंग के साथ बिना मास्क घूम रहे लोगों पर कार्यवाही किया जा रहा है।

इसी क्रम में दिनांक 8.04.2021 को थाना प्रभारी सरिया के साथ अटल चौक सरिया पर वाहन चेकिंग टीम द्वारा ट्रेक्टर चालक विश्वनाथ सिदार पिता रघुनाथ उम्र 22 वर्ष निवासी सण्डा तहसील बरमकेला थाना सरिया का ब्रीथ एनालाइजर से सांस के जरिए एल्कोहल की मात्रा लिये, वाहन चालक विश्वनाथ सिदार शराब पीकर मुख्य मार्ग पर वाहन चलाते हुये पकड़ा गया। वाहन चालक के विरूद्ध थाना प्रभारी इस्तगासा धारा 185 एमव्ही एक्ट के तहत तैयार कर चालान माननीय जेएमएफसी सारंगढ़ के न्यायालय में दिनांक 09.04.2021 को प्रस्तुत किया गया, जहां वाहन चालक पर माननीय न्यायालय द्वारा 10 हजार रूपये का जुर्माना किया गया है। आरोपी चालक द्वारा 10 हजार रूपये की अदायगी पर जप्त ट्रेक्टर वाहन, ट्रेक्टर स्वामी के सुपुर्द की जावेगी। बता दें कि माननीय न्यायालय धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के प्रकरणों में लगातार अर्थदंड से दंडित किया जा रहा है, दूसरी बार शराब पीकर वाहन चलाते हुये पकड़े जाने पर जेल और ड्राइविंग लायसेंस निरस्त हो सकता है।

साफ-सफाई के बहाने जेवर चोरी कर भागे दो युवक, एफआईआर दर्ज

रायगढ़। शनिवार को पुलिस चौकी जुटमिल में रिपोर्टकर्ता मुन्ना लाल पाटिल पिता रघुनंदन पाटिल उम्र 72 साल निवासी रोड मस्जिद जूटमिल द्वारा लिखित आवेदन देकर दो अज्ञात युवकों के विरूद्ध गहने चोरी कर भाग जाने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। रिपोर्टकर्ता बताया कि दिनांक 08.04.2021 के सुबह करीब 11:30 बजे घर के दरवाजें के पास खड़े होकर दो युवक बर्तन और गहने मांजने का पाउडर का प्रयोग कर दिखाने के लिये बोले जिन्हें मना किये पर वे देख लो, देख लो कहकर जीद करने लगे और घर से बर्तन और गहने को मांग कर बर्तन में रखे और उसमें पानी डालकर साफ कर दिखाये। इसी बीच नजर बचाकर एक लड़का गहनों को चोरी कर भागने लगा उसका साथी रोड़ के दूसरी ओर गाडी लेकर तैयार था। दोनो बाइक पर गहने लेकर जूटमिंल की तरफ भाग गये। रिपोर्टकर्ता बताये कि आरोपियों द्वारा 04 नग सोने की चूडी, 02 नग सोने का चैन, 02 नग सोने की अंगुठी जुमला कीमती 80,000 रूपये के हैं। चोरी के रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध चौकी जूटमिल (थाना कोतवाली) में अप.क्र. 545/2021 धारा 379,34 भादवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

सड़क दुर्घटनाओं के वास्तविक कारणों की समीक्षा पर हुआ कार्यशाला

रायगढ़। सड़क दुर्घटनाओं को लेकर बेहद गंभीर पुलिस अधीक्षक रायगढ़ संतोष कुमार सिंह द्वारा डीएसपी ट्राफिक पुष्पेन्द्र बघेल को घटित सड़क दुर्घटनाओं के वास्तविक कारणों का पता लगाकर दुर्घटनाओं का विश्लेषण कर दुर्घटनाओं में कमी लाये जाने और क्या-क्या प्रयास किये जा सकतें हैं, विश्लेषण से प्राप्त सुक्षावों को सड़क सुरक्षा समिति के संज्ञान में लाये जाने निर्देशित किया गया। निर्देशों पर डीएसपी ट्राफिक द्वारा आज दिनांक 10.04.2021 को सभी थाना, चौकी में तैनात एक-एक विवेचकों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण/कार्यशाला का आयोजन थाना यातायात में किया गया। कार्यशाला में उप पुलिस अधीक्षक यातायात रायगढ़ द्वारा उपस्थित विवेचकों को सड़क दुर्घटनाओं के प्रकरणों की विवेचना, मौका घटनास्थल निरीक्षण की कार्यवाही के साथ घटना के वास्तविक कारणों की समीक्षा करने हेतु ष्ट्रस्-ट्र साफ्टवेयर द्वारा तैयार 59 बिंदु प्रोफार्मा में प्रत्येक प्रकरणों का सही-सही विवरण भरने का प्रशिक्षण दिया गया। डीएसपी ट्राफिक द्वारा विवेचकों को अपने थाने के अन्य विवेचकों को साफ्टवेयर में एण्ट्री करने का प्रशिक्षण देने कहा गया है। वे बताये कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने सड़क सुरक्षा समिति के साथ रायगढ़ पुलिस लगातार प्रर्वतन कार्यवाही कर रही है। इसी क्रम में दिनांक 09.04.2021 को सड़को पर खतरनाक तरीके से वाहन खड़ी करने वाले वाहन चालकों पर क्रमशः थाना कोतवाली थानाक्षेत्र अर्न्तगत 10, खरसिया एवं पुसौर अर्न्तगत 3-3 एवं सारंगढ़, लैलूंगा, तमनार में 1-1 वाहनों पर कार्यवाही की गई है, साथ ही वाहन चेकिंग दौरान दुपहिया एवं चार पहिया 92 चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही किया गया है। यह कार्यवाही आगे भी लगातार जारी रहेगी।

गोठान के वर्मी कम्पोस्ट से लहलहा रही धान व सब्जी की फसल

» तमनार ब्लाक के राबो गोठान का कलेक्टर भीम सिंह ने किया निरीक्षण

रायगढ़ । गोठानों में बने वर्मी कम्पोस्ट की क्वालिटी इतनी बढ़िया है कि इससे किसानों को एक तरफ जहां फसलों के उत्पादन में लागत कम हो रही है। इसी तरह उन्हें उत्पादन ज्यादा होने पर दोहरा लाभ भी मिल रहा है। यह कहना है तमनार ब्लाक के राबो, जिवरी व सरायपाली गोठान से वर्मी कम्पोस्ट लेने वाले किसानों का। इसे देखते हुए कलेक्टर भीम सिंह ने राबो गोठान का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर सिंह ने गोठान समिति के कार्यो की तारीफ की।

गोठान पहुंचकर कलेक्टर सिंह ने सबसे पहले वर्मी कम्पोस्ट पिट की जानकारी ली। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी सविता भारती ने बताया कि यहां 30 कम्पोस्ट पिट और 10 बेड का निर्माण कराया गया है, जहां से अब तक गोठान समिति के महिला स्व- सहायता समूह द्वारा 65 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट बनाया गया है। इसमें से करीब 66 प्रतिशत वर्मी कम्पोस्ट की बिक्री हो चुकी है। इसी तरह अप्रैल में 100 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट आसपास के किसानों को बिक्री करने का टारगेट रखा गया है। इसी तरह जिवरी गोठान से 182 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन और बिक्री किया गया। इससे महिला समूह को 70 हजार रुपए मिले। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श्रीमती भारती ने बताया कि यहां पर गोबर के साथ पैरा, पेड़ों से गिरे पत्ते आदि को डालकर बनाया गया वर्मी कम्पोस्ट की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। सब्जी के साथ अन्य फसल उगाने वालों किसानों का अच्छा रिस्पांस आ रहा है। यही वजह है कि किसान वर्तमान में प्रयोग के तौर पर गोठान से वर्मी कम्पोस्ट ले रहे हैं और अपने फसलों पर उपयोग कर रहे हैं, जिसका बेहतर परिणाम उन्हें मिल रहा है। ग्राम आमापाली से पेन सिंह राठिया ने धान की खेती में वर्मी कम्पोस्ट का प्रयोग किया। पेन सिंह राठिया ने बताया कि यूरिया डालने से दूसरे दिन ही पौधों में हरा पन आ जाता था। इसके बाद पौधों में कीड़े लगने, बीमारी आने की दिक्कतें आती थी, लेकिन वर्मी कम्पोस्ट डालने से 10 से 12 दिनों में पौधों में हरा पन आता है। पौधे मजबूत होने के साथ रोग-प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी होती है। इससे किसी तरह की बीमारी नहीं और अलग से दवाई का छिड़काव नहीं करना पड़ता है।

सराईपाली के कान्हू राम ने बताया कि उन्होंने मिर्ची के पौधों पर वर्मी कम्पोस्ट का प्रयोग किया। इस दौरान उन्होंने करीब 8 क्यारी मिर्ची के पौधों पर वर्मी कम्पोस्ट डाला और दो क्यारी के में लगे मिर्ची के पौधों पर वर्मी कम्पोस्ट नहीं डाला। कुछ दिनों बाद उन्होंने पाया कि जिन पौधों में वर्मी कम्पोस्ट डाला गया था, वे मजबूत और लहलहा रहे थे। इसी तरह बिना वर्मी कम्पोस्ट वाले पौधे कमजोर थे और उनमें बीमारी भी लग गई।

मुख्यमंत्री की मंशानुरूप गौठानों को बनाना है स्वावलंबी-कलेक्टर

रायगढ़ । कलेक्टर भीम सिंह आज कलेक्टर बंगले से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोठान समूह में कार्यरत महिलाओं का हालचाल जाना एवं उनसे चर्चा की। उन्होंने कहा कि आज हम सभी संकल्प ले की गोधन योजना के सफल क्रियान्वयन के लिये हम सभी अपना पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशानुरूप हमें गौठानों को स्वावलंबी बनाना है। इस मौके पर प्रथम चरण के 212 गौठानों से लगभग 3 हजार महिलायें ऑनलाईन के माध्यम से जुड़ी हुई थी। इस दौरान कलेक्टर सिंह ने गोठानों में चल रही एक्टिविटी, गोठानों में गोबर खरीदी, कम्पोस्ट निर्माण तथा विक्रय एवं उससे होने वाली आय के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने महिलाओं से उनके गोठानों से किसानों द्वारा की जा रही वर्मी खाद की खरीदी के साथ गोठानों में समूहों द्वारा की जा रही अन्य गतिविधियों के संबंध में भी जानकारी ली।

कलेक्टर सिंह ने समूहों से कहा कि एक माह से पुराना गोबर बाहर नहीं रखना है। समय से उसे वर्मी पिट में डालना जरूरी है। उन्होंने कहा कि गोठानों में मल्टी एक्टिविटी सेंटर बनाना है। गोठानों में शेड होना जरूरी है। उन्होंने जिन गोठानों में शेड नहीं बने है एवं गोबर बिक्री का भुगतान नहीं हुआ है, इसकी जानकारी संबंधित समूहों को अगले तीन-चार दिनों के अंदर सीईओ जनपद को देने के लिए कहा।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480